बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग

आदेश

आ०स० :– 3/अ०प्र०–1–04/2018 294 /पटना, दिनांक :– 3-2-23

श्री सुनील कुमार रंजन, तत्कालीन कनीय अभियंता, कार्य प्रमंडल, जयनगर ने कार्यालय आदेश संख्या–17 सह–पठित ज्ञापांक–696 दिनांक 28.03.2022 द्वारा अधिरोपित दंड के विरूद्ध अपील अभ्यावेदन दिनांक 11.05.2022 दायर किया गया है।

2. श्री रंजन के विरूद्ध अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अंचल, दरभंगा से प्राप्त आरोप पत्र में कर्त्तव्य में लापरवाही एवं आदेश की अवहेलना, मापी दर्ज करने में असावधानी एवं लापरवाही, मापीपुस्त दर्ज करने में शिथिलता, बिना स्वीकृति के संदिग्ध मेडिकल अवकाश पर एक माह कर्त्तव्य से अनुपस्थित रहने, कार्यालय को बिना सूचित किये संवेदक पर प्राथमिकी दर्ज करना, अनुशासनहीनता एवं वरीय पदाधिकारी के साथ असभ्य शब्दों का प्रयोग करना एवं झूठा आरोप लगाने जैसे आरोप प्रतिवेदित किये गये। तदालोक में समीक्षोपरान्त श्री रंजन, कनीय अभियंता को कार्यालय आदेश संख्या–77–सह–पठित ज्ञापांक–2873 दिनांक 07.12.2018 द्वारा तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया। साथ ही प्राप्त आरोप पत्र को पुनर्गठित कर कार्यालय आदेश संख्या–02 सह–पठित ज्ञापांक–209 अनु० दिनांक 25.01.2019 द्वारा बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम–17 के तहत श्री रंजन, कनीय अभियंता के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी, जिसके निमित्त मुख्य अभियंता–3, ग्रामीण कार्य विभाग को संचालन पदाधिकारी नामित किया गया।

3. श्री रंजन, कनीय अभियंता के पत्रांक शून्य दिनांक 11.01.2019 द्वारा समर्पित अभ्यावेदन के समीक्षोपरान्त संचालित विभागीय कार्यवाही को यथावत् रखते हुए कार्यालय आदेश संख्या–21–सह–पठित ज्ञापांक–234 दिनांक 31.01.2019 द्वारा इन्हें निलंबन से मुक्त कर दिया गया।

4. संचालन पदाधिकारी (मुख्य अभियंता–3, ग्रामीण कार्य विभाग) के पत्रांक 403 अनु० दिनांक 13.01.2021 से प्राप्त जॉच प्रतिवेदन में श्री रंजन के विरूद्ध गठित आरोप आंशिक रूप से प्रमाणित पाये जाने के आलोक में इनसे द्वितीय कारण पृच्छा की गयी। श्री रंजन से प्राप्त द्वितीय बचाव बयान समीक्षोपरान्त स्वीकार्य योग्य नहीं पाया गया। तदालोक में श्री रंजन के विरूद्ध प्रमाणित आरोपों के लिये कार्यालय आदेश संख्या–17 सह–पठित ज्ञापांक–696 दिनांक 28.03.2022 द्वारा संचयात्मक प्रभाव से दो वेतन वृद्धि पर रोक का दंड अधिरोपित किया गया।

5. उक्त अधिरोपित दंड के विरूद्ध श्री रंजन के पत्रांक शून्य दिनांक 11.05.2022 द्वारा समर्पित प्रश्नगत् अपील अभ्यावेदन में मूलतः यह कहा गया है कि संचालन पदाधिकारी द्वारा उनके समक्ष प्रस्तुत साक्ष्यों पर भली–भांति विचार नहीं किया गया। साथ ही द्वितीय बचाव बयान के साथ भी संलग्न साक्ष्यों पर विचार नहीं किये जाने का उल्लेख श्री रंजन द्वारा अपने अपील अभ्यावेदन में किया गया।

6. श्री रंजन द्वारा समर्पित अपील अभ्यावेदन के अवलोकनोपरांत यह पाया गया कि प्रतिवेदित आरोपों के संबंध में श्री रंजन द्वारा मूलतः वहीं तथ्यों को रखा गया है, जो उनके द्वारा संचालन पदाधिकारी के समक्ष तथा द्वितीय बचाव बयान में कहा गया है। विचारणीय है कि संचालन पदाधिकारी द्वारा सभी तथ्यों पर विचार करने के उपरान्त ही श्री रंजन के

Phone-0612-2545191 Fax-0612-2545322, Website :-http://rwd.bih.nic.org, E-mail:secretaryrwdbihar@gmail.com,&secy-reo-bih@nic.in

विरूद्ध गठित आरोप आंशिक रूप से प्रमाणित होने का मंतव्य दिया गया। साथ ही श्री रंजन द्वारा समर्पित द्वितीय बचाव बयान की सम्यक समीक्षा के उपरान्त ही मुख्य अभियंता–1 द्वारा इसे स्वीकार योग्य नहीं माना गया। स्पष्ट है कि इनके द्वारा अपने अपील अभ्यावेदन में जो तथ्य रखे गये हैं, उनपर पूर्व में ही विभाग द्वारा विचार किया जा चुका है।

प्रश्नगत् अपील अभ्यावेदन का बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम–27(2) के तहत विचारण से यह स्पष्ट है कि श्री रंजन, कनीय अभियंता को अधिरोपित/संसूचित दंड में संदर्भित नियमावली, 2005 में विहित प्रक्रिया का अनुपालन किया गया है एवं निष्कर्ष अभिलेख पर रखे साक्ष्य समर्थित है। इस परिप्रेक्ष्य में यह स्पष्ट है कि बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के भाग–vii के नियम–27(2) में उल्लेखित किसी भी प्रावधानों का उल्लंघन नहीं किया गया है। अतएव प्रश्नगत् दंडादेश पर पुनर्विचार का कोई वैधानिक आधार नहीं है।

7. अतः उक्त आलोक में सम्यक विचारोपरांत श्री सुनील कुमार रंजन, तत्कालीन कनीय अभियंता, कार्य प्रमंडल, जयनगर सम्प्रति कनीय अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, बारसोई के विरूद्ध कार्यालय आदेश संख्या–17 सह–पठित ज्ञापांक–696 दिनांक 28.03.2022 द्वारा अधिरोपित दंडादेश को यथावत रखते हुए इनके द्वारा समर्पित अपील अभ्यावेदन दिनांक 11.05.2022 को अस्वीकृत किया जाता है।

8. प्रस्ताव में अपीलीय प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

23/1/2023

(संजय दूबे)
विशेष सचिव

ज्ञापांक :–3/अ0प्र0–1–04/2018 294 /पटना, दिनांक :– 3-2-23

प्रतिलिपिः– सचिव के प्रधान आप्त सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग/अभियंता प्रमुख, ग्रामीण कार्य विभाग/सभी मुख्य अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग/अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अंचल, दरभंगा/पूर्णियाँ/कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, जयनगर/बारसोई/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–4, ग्रामीण कार्य विभाग/आई०टी० मैनेजर, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना एवं श्री सुनील कुमार रंजन, तत्कालीन कनीय अभियंता, कार्य प्रमंडल, जयनगर सम्प्रति कनीय अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, बारसोई को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

23/1/2023

विशेष सचिव